

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनऊ
पोर्ट शाहरा नं० 1050
फानपुर - 208024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
पेट्राइट: www.upsldc.com
ई-मेल : feedback@upsldc.com

संदर्भ संख्या

/एसआईडीसी/

दिनांक

कार्यालय आदेश

उद्योग वन्धु के द्वारा समरत औद्योगिक प्राधिकरणों के लिए प्रस्तावित की गई ड्राफ्ट औद्योगिक नीति तथा नौएडा में लागू नीति से तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए निगम के औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में नीति को निम्नानुसार सरलीकरण हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 285वीं वैठक में अनुमोदन प्रदान किया है। निम्न संशोधन तत्काल प्रगाव से लागू किये जाते हैं:-

- क- आवंटन हेतु आवेदक की अहता— निगम में वर्तमान में अनुमन्य विभिन्न श्रेणी के ओवदकों के साथ-साथ कन्सोर्सियम आवेदकों को भी औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु अह माना जायेगा। कन्सोर्सियम आवेदक की विशेषता संलग्नक-'क' के अनुसार होगी।
- ख- आवंटन-

1. 2000 वर्ग मीटर के भूखण्डों में आवंटन क्षेत्रीय स्तर की समिति द्वारा स्क्रीनिंग के पश्चात लाटरी से चयन किया जायेगा।
2. 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर मुख्यालस स्तर की आवंटन समिति के द्वारा अह आवेदकों में आवंटी का चयन।
3. आवंटन की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी अर्थात विज्ञापन के पश्चात भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध होंगे तथा प्रत्येक निदेशक के द्वारा गुणदोष के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र जिनमें स्कीम ओपर एंडेड रहेगी का निर्णय लिया जा सकेगा।

ग- लीज रेन्ट-

1. नये आवंटनों/हस्तान्तरणों में लीज रेन्ट की दर आवंटन दर का 01 प्रतिशत प्रतिमीटर प्रतिवर्ष रहेगा।
2. लीज रेन्ट की दरों को निगम के द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों के बाद संशोधित किया जा सकेगा। यह संशोधन पूर्व दरों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इच्छुक नये आवंटनों/हस्तान्तरणों के आवंटी लागू दर का 11 गुना एकमुश्त लीजरेन्ट (90 वर्षों हेतु) के रूप में भुगतान कर सकेंगे।

उत्पादन हेतु/ समय विस्तारण शुल्क

नये आवंटियों/हस्तान्तरियों को भूखण्ड पर निर्दिष्ट क्षेत्रफल अच्छादित करते हुए इकाई उत्पादन में लाने हेतु शुल्क-रहित समय 36 माह उपलब्ध रहेगा।

प्राप्ति
2. उत्पादन
3. समय
1. आवंटियों
का उत्पादन
का समय
प्राप्ति
11-8-17
ग्राम

2. 36 माह के पश्चात केवल अह मामलों में एक समय में विस्तारण पूर्ण हो समय विस्तारण समुल्क किया जा सकेगा। शुल्क की दरें वर्तमान में 01.08.2007 से लागू Slab के दरों के अनुरूप रहेंगी (1 वर्ष की आवधि विस्तारित करते हुए) उदाहरणतया: तीव्र गति शेत्रों के लिए 0=3 वर्ष निःशुल्क, 3=4 वर्ष 5%, 4=6 वर्ष 10%। आवंटन के 10 वर्ष के पश्चात किसी भी दशा में समय विस्तारित महीं किया जा सकेगा।
3. यदि आवंटी को कोई भूजप्तोग/पुगतान/आच्य कोई घोषित नहीं किया गया हो तथा उनके द्वारा अनुग्रह्य परियोजना के अनुसार ही कार्यवाही किया जाता प्रस्तावित हो तथा इसे ऐसु उनके द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवंटन कर दिया गया हो तो ऐसी दशा में यदि सावधित शेत्रीय कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा 15 दिनों के अन्दर समय विस्तारण आवेदन वा निरसारण नहीं किया जाता है तो समय विस्तारण डीम्ड अप्रूवड माना जायेगा तथा आवंटी को उपयोग ढेतु समर्त सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।

ड.- क्रियाशील इकाई की परिभाषा

जिन आवंटियों ने न्यूनतम मानक क्षेत्रफल आच्छादित कर लिया हो (सामान्यतः आवंटित क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत) तथा भूखण्ड पर अनुमोदित परियोजना के अनुसार सम्बन्धित इकाई स्थापित कर ली हो, उन्हें 'क्रियाशील इकाई' की संज्ञा प्रदान की जायेगी तथा उनपर तत्सम्बन्ध में लागू हस्तान्तरण शुल्क एवं अन्य सुविधाएँ मान्य होगा।

च- हस्तान्तरण

- वर्तमान में लागू दर यथावत बने रहेंगे।
- वर्तमान में लागू श्रेणियों के अतिरिक्त 'क्रियाशील घोषित इकाईयों के लिए धीभी गति में प्रचलित दर का 5 प्रतिशत तथा द्वीव गति में 7.5 प्रतिशत लिया जायेगा।
- वर्तमान में धारा 29 एस०एफ०सी० एकट के मामलों में लागू नीति को अवक्रमित करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि वर्तमान में नौएडा में लागू नीति के अनुरूप, ऐसे मामलों में हस्तान्तरण शुल्क समानान्तर सामान्य हस्तान्तरण मामलों में लागू दरों का 50 प्रतिशत होगी।

छ- किरायेदारी

- वर्तमान में लागू किरायेदारी शुल्क प्रचलित दर का 2 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रतिवर्गमीटर के स्थान पर 1 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रति वर्गमीटर कर लिया जाएगा।
- किरायेदार अपने पक्ष में विद्युत कनेक्शन ले सकेंगे।

जा- पुनर्जीवीकरण

ऐसे प्रवर्धन जिसमें सामय गिरतारण शुल्क की देयता सामग्री शर्ता आवंटन/लीज में रखा है इसी विषय में पुनर्जीवीकरण की नीति एवं शुल्क में परिवर्तन कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रबन्धक गिरतारण के संपर्कात्मक अनावृत्त गृहाणणों के पूर्व आवधियों द्वारा पुनर्जीवीकरण हेतु किये गये आवेदन को परीक्षण कर संतुष्टि राखित गुरुत्वालय प्रेषित करेंगे। प्रबन्ध निदेशक द्वारा पुनर्जीवीकरण अनुमत्य करने का निर्णय लेने के पश्चात सर्वप्रथम आवंटी से निम्न प्राप्त किये जायेंगे:-

1. देयता तथा उनपर व्याज (सम्पूर्ण अधिकार का)
2. सामय गिरतारण शुल्क (सम्पूर्ण अंतरिक्ष अधिकार का)

उपरोक्त प्राप्त छोने के पश्चात औपचारिक पुनर्जीवीकरण पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें पुनर्जीवीकरण शुल्क जो प्रवलित दर का 10 प्रतिशत रहेगा, की मौग की जायेगी, जो एक मुश्त अथवा किश्तों में गौंगी जा सकेगी।

जा- मार्टेज-

वर्तमान में अनुमत्य सुविधाओं के अतिरिक्त क्रियाशील इकाईयों में collateral mortgage की सुविधा भी अनुमत्य कर दी गई है।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पृष्ठा ०३ / एसआईडीसी/एस-पॉली-प्रॉप-म्प्ल. दिनांक: ८.६.१५

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समरत अनुभागाध्यक्ष, यूपीएसआईडीसी, कानपुर।
2. समरत क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, यूपीएसआईडीसी को आवश्यक कार्यवाही तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत उद्धमी संघो को सूचित करने हेतु।
3. श्री सुवोध सक्सेना, उपप्रबन्धक, (औद्योगिक क्षेत्र) को इस निर्देश के साथ की आवंटियों को जारी होने वाले पत्र/प्रपत्र यथा आवंटन पत्र, हस्तांतरण पत्र, लीज डीड, किशयेदारी पत्र/अनुबन्ध में यथोदयक संशोधन कर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को निर्गत करायेंगे।
4. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीएसआईडीसी, कानपुर को उक्त आदेश को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

आवेदक कन्सोर्सियम की प्रमुख विशेषता

1. कन्सोर्सियम के प्रत्येक सदस्य के पास 10% या प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्वाचित न्यूनतम अंश हो।
2. सदस्यों द्वारा एक लीड सदस्य का चयन किया जाएगा जो आवंटन आदि के बारे में पत्राचार करेगी।
3. लीड सदस्य के पास न्यूनतम 26% अथवा प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्वाचित न्यूनतम अंश होंगे।
4. लीड सदस्य भारत में पंजीकृत एक फर्म/कम्पनी होगा।
5. सदस्यों द्वारा इस आशय का एक MOU प्रस्तुत किया जाएगा कि उन्होंने संयुक्त रूप से आवेदन आवंटन के उद्देश्य से आवेदन किया है तथा यदि आवंटन किया जाता है तो परियोजना क्रियान्वयन हेतु एक SPV का गठन किया जाएगा।
6. MOU में प्रत्येक सदस्य के दायित्वों एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख होगा—विशेषकर क्रठण/अंशपूँजी की व्यवस्था तथा परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। एस०पी०वी० में प्रत्येक सदस्य के परियोजना क्रियान्वयन में संयुक्त एवं एकल रूप से जिम्मेदार होने का स्पष्ट उल्लेख होगा।
7. एस०पी०वी० एक पंजीकृत पार्टनरशिप/कम्पनी होगी।
8. एस०पी०वी० जिसमें लीड सदस्य एवं प्रासांगिक सदस्य होंगे, भूमि हेतु पट्टा निष्पादित करेगी एवं इसके पूर्व साझेदारों/अंशधारकों की सूची प्रेषित करेगी।
9. इकाई के क्रियाशील इकाई घोषित होने तक 'लीड सदस्य' को एस०पी०वी० में अपनी मूल अंशधारिता बनाए रखनी पड़ेगी।